भारत निर्वाचन आयोग

ELECTION COMMISSION OF INDIA

फार्म–8 **FORM-8**

[निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण नियम 1960 का नियम 13(2) और 26 देखिए]
(See Rules 13(2) and 26) of Registration of Electors Rule-1960

उत्तराखण्ड सरकार

पावती संख्या.......................
Acknowledgement No.____________
(कार्यालय द्वारा भरा जाएगा) (To be filled by office)

निर्वाचक नामावली में प्रविष्ट विशिष्टियों की शुद्धि के लिए आवेदन

Application for Correction to Particulars Entered in Electoral Roll

सेवा में,
निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण आफिसर,
.... सभा निर्वाचन क्षेत्र/ संसदीय निर्वाचन क्षेत्र।

To,
The Electoral Registration Officer,
………………...………………………………….....**Assembly / Parliamentary Constituency**

पूरे चेहरे को सामने से उपदर्शित करते हुए नवीनतम फोटो (3.5 CM X 3.5 CM) चिपकाने के लिए स्थान SPACE FOR PASTING ONE RECENT PASSPORT SIZE PHOTOGRAPH (3.5 CM X 3.5 CM) SHOWING FRONTAL VIEW OF FULL FACE WITHIN THIS BOX if correction in photograph

मैं निवेदन करता हूँ कि उपरोक्त निर्वाचन क्षेत्र की निर्वाचक नामावली में आने वाली मुझसे संबंधित प्रविष्टि शुद्ध नही है और इसे शुद्ध कर दिया जाए।
I request that entry relating to myself appearing in the electoral roll the above Constituency is not correct and it should be corrected.

(क) नाम (a) Name	
(ख) उपनाम(यदि कोई हो) (b) Surname(if any)	

(ग) निर्वाचक नामावली के साथ रजिस्ट्रीकरण के ब्यौरे विधान सभा/संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का नाम
(c) Details of registration with electoral roll
Name of Assembly/ Parliamentary Constituency ____________________

निर्वाचक नामावली की भाग संख्या Part No. of Electoral Roll	☐☐☐☐	निर्वाचक नामावली की क्रम संख्या Serial No. of Electoral Roll	☐☐☐☐

(घ) ईपीआईसी सं0 (यदि जारी की गई हो) (d) EPIC No. (If issued)	

(ड.) कृपया सही की जाने वाली प्रविष्टि पर निशान लगाएं
(e) Please tick the entry which is to be corrected

नाम Name ☐	फोटो Photograph ☐	ईपीआईसी EPIC ☐	पता Address ☐	जन्म की तारीख Date of Birth ☐
आयु Age ☐	संबंधी का नाम Name of Relative ☐	संबंध का प्रकार Type of Relation ☐	लिंग Gender ☐	

शुद्ध की जाने वाली प्रविष्टि में शुद्ध विशिष्टियां नीचे दी गई है:–
The correct particulars in entry to be corrected are as below:-

(च) ई–मेल आई डी (वैकल्पिक) (g) Email id (optional)	
(छ) मोबाईल संख्या (वैकल्पिक) (h) Mobile No. (optional)	☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐

मुझे ज्ञान है कि ऐसा कथन करना या घोषणा करना जो असत्य है और जिसे मैं जानता हूँ या विश्वास करता हूँ कि असत्य है या जिसके सत्य होने पर मैं विश्वास नहीं करता हूँ, वह लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम,1950 (1950 का 43) की धारा 31 के अधीन दंडनीय है।
I am aware that making a statement or declaration which is false and which I know or believe to be false or do not believe to be true, is punishable under Section 31 of the Representation of the People Act, 1950 (43 of 1950).

स्थान Place
दिनांक Date

आवेदक के हस्ताक्षर...............................
signature of Applicant…………………..

क्षेत्र स्तरीय सत्यापन अधिकारी की टिप्पणी:
Remarks of Field Level Verifying Officer:

की गई कार्यवाही के ब्यौरे (निर्वाचन क्षेत्र के निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण ऑफिसर द्वारा भरा जाना)

Details of action taken (To be filled by Electoral Registration Officer of the constituency)

प्ररूप 8 में निर्वाचक नामावली में प्रविष्ट की शुद्धि के लिए श्री/श्रीमती/कुमारी..........का आवेदन स्वीकृत/नामंजूर कर दिया गया है। [नियम 18/20/26(4) के अधीन या अनुसरण में] स्वीकार करने या नियम 17/20/26(4) के अधीन या अनुसरण में] नामंजूर करने के लिए विस्तृत कारण नीचे दिए गए हैः

The application of Shri / Shrimati/ Kumari ....for correction of entry in the electoral roll in Form 8 has been accepted/rejected.Detailed reasons for acceptance [under or in pursuance of rule 18/20/26(4)] or rejection [under or in pursuance of rule 17/20/26(4)] are given below:

स्थान Place

दिनांक Date निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण आफिसर के हस्ताक्षर निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण आफिसर की मुद्रा

Signature of ERO Seal of the ERO

किए गए विनिश्चय की सूचना (निर्वाचन क्षेत्र के निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण आफिसर द्वारा भरा जाना है और अभिलेख में उपलब्ध/आवेदक दिए गए पते पर डाक द्वारा भेजा जाना है)

Intimation of decision taken (to be filled by Electoral Registration Officer of the constituency and to be posted to the applicant on the address as available in records/given by applicant)

श्री/श्रीमती/कुमारी .... का प्ररूप 8 में आवेदन

The application in Form 8 of Shri/Shrimati/Kumari..........

निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी द्वारा प्रेषण के समय डाक टिकट चस्पा किए जाने हैं
Postage Stamp to be affixed by the Electoral Registration Authority at the time of dispatch

वर्तमान पता, जिस पर आवेदक मामूली रूप से निवास करता है Current address where applicant is ordinarily resident	गृह सं. House No.									
गली/क्षेत्र/स्थान Street/Area/Locality										
शहर/ग्राम Town/Village										
डाक घर Post Office		पिनकोड Pin Code								
जिला District		राज्य/संघ राज्य क्षेत्र State/UT								

(क) स्वीकार कर लिया गया है और सभा निर्वाचन क्षेत्र सं0.......... के भाग सं0..........की क्रम सं0..........को तदनुसार..........उपांतरित कर दिया गया है।

Has been (a) accepted and the entry at Sr. No.......... ....of Part No.......... of AC No.......... has been modified accordingly

(ख) .... कारण से अस्वीकृत कर दिया गया है।

(b) rejected for the reason..........

तारीखः Date:

निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण आफिसर
Electoral Registration Officer
पता..........
Address..........

पावती/रसीद
Acknowledgement/Receipt

पावती सं. ———————— तारीख ————————

Acknowledgement Number ______________ Date _____________

श्री/श्रीमती/कुमारी ———————— ———————————— का प्ररूप 8 में आवेदन प्राप्त हुआ है

[आवेदक आवेदन की स्थिति जांचने के लिए पावती सं. निर्दिष्ट कर सकता है]

Received the application in form 8 of Shri / Smt. / Ms. ____________________

[Applicant can refer the Acknowledgement No. to check the status of application].

ईआरओ/एईआरओ/बीएलओ का नाम/हस्ताक्षर
Name/Signature of ERO/AERO/BLO

दूरभाष नं0 लै0 लाईन/टोल फ्री–	उत्तरकाशी– 01374–222177 01374–1950	चमोली– 01372–252139 01372–1950	रूद्रप्रयाग– 01364–233352 01364–1950	टिहरी गढ़वाल– 01376–232164 01376–1950	देहरादून– 0135.2624216 0135–1950	हरिद्वार.– 01334.239942 01334.1950	पौड़ी–गढ़वाल 01368–222217 01368–1950
	पिथौरागढ़ 05964–225236 05964–1950	बागेश्वर 05963–220380 05963–1950	अल्मोड़ा 05962–230010 05962–1950	चम्पावत 05965–230296 05965–1950	नैनीताल 05942–235284 05942–1950	उधमसिंहनगर 05944–246787 05944–1950	

प्ररूप–8 के साथ संलग्न होगा
To be appended to Form-8

आवेदन प्ररूप–8 भरने के लिए दिशा–निर्देश
GUIDELINES FOR FLLING UP THE APPLICATION
प्ररूप–8 FORM-8

प्ररूप–8 कैसे भरा जाना चाहिए How to Fill up Form-8

1. आवेदन उस निर्वाचन–क्षेत्र के निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को संबोधित किया जाना चाहिए जिसमें आवेदक का नाम पहले से ही अंतर्वेशित है। निर्वाचन क्षेत्र के नाम का रिक्त स्थान में उल्लेख किया जाना चाहिए।

1. The application should be addressed to the Electoral Registration Officer of the constituency in which the name of the applicant is already included. The name of the constituency should be mentioned in the blank space.

2. आवेदक को आवेदन के भाग I (मद (क) और (ख) में अपना नाम उस रूप में लिखना चाहिए जैसा कि उसे निर्वाचक नामावली में प्रतीत हो। यदि निर्वाचक नामावली में मुद्रित आवेदक के नाम के आधक्षर संक्षिप्त रूप में हैं और वे उसे विस्तृत रूप में मुद्रित कराना चाहते हैं तो वे अपना पूरा नाम विस्तारित रूप में लिख सकते हैं। पहले खाने में उपनाम को छोड़कर शेष पूरा नाम लिखा जाना चाहिये तथा उपनाम दूसरे खाने में लिखा जाना चाहिये। यदि आवेदक का कोई उपनाम नहीं है तो केवल दिया गया नाम ही अंकित करें। जाति का उल्लेख सिर्फ वहीं किया जाना है, जहां जाति का नाम निर्वाचक के नाम के भाग के रूप में अथवा उपनाम के रूप में प्रयुक्त है अन्यथा नहीं। सम्मानसूचक पदवियां जैसे, श्री,श्रीमती,कुमारी,खान, बेगम, पंडित इत्यादि उल्लिखित नहीं की जानी चाहिए।

2. In Part I (Item (a) and (b))of the Application, the applicant should write his name, as it should appear in the electoral roll. In case the initials to applicant's name printed in the electoral roll are in abbreviated form and he wants them to be printed in expanded form he can write his full name in expanded form. The full name except the surname should be written in the first box and surname should be written in the second box. In case the applicant does not have a surname, the given name only should be written. Caste should not be mentioned except where the caste name is used as part of the elector's name or a surname. Honorific appellations like Shri, Smt. Kumari, Khan, Begum, Pandit etc. should not be mentioned.

3. मद (ग): निर्वाचक नामावली के जिस भाग में आवेदक का नाम सूचीबद्ध है उसकी भाग संख्या तथा उस भाग में क्रम संख्या को कृपया भरें। यह अनिवार्य है।

3. Item (c): Please fill up the Part Number and serial number in that part of electoral roll where the name of the Applicant is listed. This is mandatory.

4. जन्म–तिथि में त्रुटि–सुधार करने के लिए दस्तावेजी सबूत संलग्न किए जाने चाहिए जैसा कि नीचे दिया गया है:

4. For correction in date of birth, documentary proof should be attached as under:

i) नगर पालिका प्राधिकारियों या जन्म एवं मृत्यु पंजीयक के जिला कार्यालय द्वारा निर्गत जन्म प्रमाण पत्र–पत्र या बपतिस्मा प्रमाण–, या

i) Birth certificate issued by a Municipal Authorities or district office of the Registrar of Births & Deaths or Baptism certificate; or

ii) आवेदक ने जिस विद्यालय (सरकारी/मान्यता प्राप्त) या किसी अन्य मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान में अंतिम बार पढ़ाई की हो उसके द्वारा जारी जन्म प्रमाण–पत्र, या

ii) Birth certificate from the school (Govt. / Recognised) last attended by the applicant or any other recognised educational institution; or

iii) यदि किसी ने दसवीं या उससे ऊपर की कक्षा उत्तीर्ण की हो तो उन्हें दसवीं कक्षा के अंक पत्र की एक प्रति देनी चाहिए बशर्ते उसमें जन्मतिथि के प्रमाणस्वरूप जन्मतिथि दर्ज हो, या

iii) If a person is class 10 or more pass, he should give a copy of the mark sheet of class 10, if it contains date of birth as a proof of date of birth; or

iv) कक्षा 8 का अंक पत्र यदि उसमें जन्मतिथि दर्ज हो, या

iv) Marksheet of class 8 if it contains date of birth; or

v) कक्षा 5 का अंक पत्र यदि समें जन्मतिथि दर्ज हो, या

v) Marksheet of class 5 if it contains date of birth; or

vi) यदि व्यक्ति कक्षा दसवीं तक शिक्षित नहीं हो तो उसके माता/पिता में से किसी के भी द्वारा अनुबंध– I (रजिस्ट्रेशन प्राधिकारियों द्वारा द्वारा मांगे जाने पर उपलब्ध कराया जाएगा) में दिए गए विहित फार्मेट में घोषणा–पत्र (जिन मामलों में आयु के प्रमाणस्वरूप माता–पिता की घोषणा दी जाती है, उनमें आवेदक को बीएलओ/एईआरओ/ईआरओ के समक्ष स्वयं को सत्यापित करने के लिए प्रस्तुत करना होगा), या

vi) A declaration in prescribed format given in Annexure-I (made available on demand by registration authorities) made by either of his parents if the person is not educated till class l0 (In those cases where parental declaration is given as proof of age, the applicant will have to be present himself for verification before BLO/AERO/ERO); or

vii) यदि व्यक्ति कक्षा 10 तक शिक्षित नहीं है और माता/पिता में से दोनों ही जीवित नहीं है तो संबंधित ग्राम पंचायत के सरपंच या संबंधित नगर निगम पालिका समिति के सदस्य द्वारा दिया गया उसकी आयु का प्रमाण–पत्र।

vii) A certificate of his age given by a sarpanch of the concerned Gram Panchayat or by a member of the concerned Municipal Corporation / Municipal Committee, in case the person is not educated till class 10 and both the parents are not alive.

viii) भारतीय पासपोर्ट ix) पैन कार्ड x) ड्राईविंग लाइसेंस xi) यूआईडीएआई द्वारा जारी आधार कार्ड

viii) Indian Passport. ix) PAN Card. X) Driving License. Xi) Aadhar letter issued by UIDAI.

टिप्पणीः– आयु का दस्तावेजी प्रमाण केवल उन्हीं मामलों में अपेक्षित होगा, जिनमें आवेदक की आयु 18 वर्ष और 21 वर्ष के बीच हो। अन्य सभी मामलों में, आवेदक द्वारा अपनी आयु की घोषणा आयु के प्रमाणस्वरूप ली जाएगी।

Note: Documentary proof of age will be required only in those cases, where age of the applicant is between 18 and 21 years. In all other cases declaration of his age by the applicant will be taken as proof of age.

निर्वाचक फोटो पहचान पत्र का विवरण Detail of Electors Photo Identity Card.

1. यदि निर्वाचन आयोग द्वारा आवेदक को पहले ही एक फोटो पहचान कार्ड जारी किया गया है तो कार्ड संख्या (अग्र भाग पर मुद्रित) तथा कार्ड के जारी करने की तिथि (पश्चभाग पर मुद्रित) का आवेदन प्रारूप के भाग (घ) में दिए गए स्थान में उल्लेख किया जाना चाहिए। कृपया कार्ड के दोनों भागों की स्व–अभिप्रमाणित फोटो–प्रति संलग्न करें।

1. If the Applicant has already been issued a Photo Identity Card by the Election Commission, the card number (printed on the front side) and date of issue (printed on the back side) of the card in the space provided in Item (d) of the Application Form, should be mentioned. Please attach a self-attested photocopy of both sides of the card.

2. यदि आवेदक प्ररूप 8 के माध्यम से की गई प्रविष्टियों में दोष–सुधार के कारण एक नया एपिक चाहते हैं तो ऐसे प्रतिस्थापन एपिक जारी करने के लिए एपिक–001 मे आवेदन (अनुबंध–II के रूप में दिए गए फार्मेट के अनुसार), पुराने एपिक और प्ररूप–8 के आधार पर ईआरओ द्वारा दोष–सुधार किए जाने के बाद अपेक्षित शुल्क के साथ, किए जाने हैं।

2. If the Applicant wants a fresh EPIC due to correction in entries through Form 8, an application has to be made for issue of such replacement EPIC in EPIC-001 (as per the format given as Annexure-II) with old EPIC and the requisite fee after correction by ERO on basis of Form-8

शुद्ध की जाने वाली प्रविष्टियों के विवरण Details of entries to be corrected

1. आवेदन के भाग (ड.) में आवेदक को उस/उन प्रविष्टि/प्रविष्टियों पर साफ–साफ तरीके से सही का निशान लगाना चाहिए जिसे/जिन्हें शुद्ध किया जाना है। इसलिए, यह आवेदन का अत्यन्त महत्वपूर्ण भाग है।

1. In item (e) of the Application, the applicant should clearly tick the entry(ies) to be corrected. Therefore, this is a very important part of the Application.

2. अब देश के अधिकांश हिस्सों में निर्वाचक नामावली निर्वाचकों के फोटो के साथ मुद्रित की जाती है। यदि एक गलत फोटो को शुद्ध करने के लिए आवेदन दिया गया हो तो आवेदक आवेदन के भाग (ड.) में ''फोटोग्रॉफ'' पर सही का निशान लगा सकते हैं और अपना हाल का पासपोर्ट आकार का रंगीन फोटो आवेदन के साथ कृपया संलग्न करें। निर्वाचक नामावली में प्रविष्टियों में दोष–सुधार की दशा में कृपया प्ररूप के मद (ड.) के ठीक नीचे इस प्रयोजनार्थ दिए गए खाने में ठीक–ठीक विवरणों (जिसे प्रस्तावित दोष–सुधार के बाद होना चाहिए) का उल्लेख करें।

2. In most part of the country now the electoral roll is printed with the photograph of electors. In case the application is for correcting a wrong photograph, then the applicant may tick on the "Photograph" in item (e) of the application and please, attach a recent passport size colour photograph with the application. In case of correction of entries in electoral roll, please mention correct particulars (which should be after proposed correction) in the box provided for this purpose, just below the item (e) of the Form.

3. अभिस्वीकृति एवं सूचना अंशों पर पूरा नाम और पता भी दिया जाना चाहिए।

3. Full name and address on the acknowledgement and intimation portions should also be given.

4. आवेदक प्ररूप में मोबाइल नम्बर और ई मेल आईडी– दे सकते है जो वैकल्पिक है क्यों कि यदि इसे उपलब्ध कराया जाता है तो उसका निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा आवेदक के साथ, जरूरत पड़ने पर, आगे सम्पर्क स्थापित करने के लिए उपयोग किया जा सकता है।

4. Applicant may give mobile number and E-mail I.D in the Form, which is optional, as the same, if given, may be used by the Electoral Registration Officer for further communication with the applicant whenever required.

प्रतिस्थापक एपिक Replacement EPIC

यदि आवेदक नए पते के साथ प्रतिस्थापन एपिक चाहता हैं तो उसे उसके लिए प्रारूप–8क के आधार पर नए स्थान पर पंजीकरण होने के बाद प्ररूप एपिक–001 में आवेदन (अनुबंध–I के रूप में दिए गए फार्मेट क अनुसार), प्रतिस्थापन एपिक के लिए अपेक्षित शुल्क, और पुराने एपिक के साथ, करना चाहिए।

If the Applicant wants replacement EPIC with new address, he should apply for the same in Form EPIC-001 (as per the Format as Annexure I), with requisite fee for replacement EPIC, and old EPIC, after enrolment at the new place on the basis of Form 8A.

****

अनुबन्ध–I (प्ररूप–8 के लिए)

शपथ या प्रतिज्ञान का प्ररूप

(18–21 वर्ष के आयु समूह में पहली बार के आवेदक, जिनके पास आयु का प्रमाण नहीं है, के माता/पिता/गुरू द्वारा लिया जाए/किया जाए)

मैं,... जिसका नाम ....विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र की निर्वाचक नामावली की भाग संख्या.................में क्रम संख्या.........................में नामांकित है, ईश्वर के नाम से शपथ लेता/लेती हूँ/सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता/करती हूँ कि मेरा पुत्र/मेरी पुत्री/मेरा शिष्य............................... दिनांक 01 जनवरी,20............... की स्थिति के अनुसार ....वर्ष का/की है और मेरे साथ रह रहा/रही है।

स्थानः–
तारीखः–

माता/पिता/गुरू के हस्ताक्षर

श्री/श्रीमती..द्वारा मेरे समक्ष वर्ष 20............के ....दिवस को .... (बजे) ....(स्थान) पर ईश्वर के नाम से शपथ ली गई/सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान किया गया।

निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी/सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के मुहर सहित हस्ताक्षर

ANNEXURE -I (For Form-8)

FORM OF OATH OR AFFIRMATION

(To be made by either of the parents/Guru of the first time applicant in the age group of 18-21 years who has no age proof)

I, ……………………………………….......... whose name is enrolled at the Serial No. .... in the Part No. .... of electoral roll of the……………………………………….. Assembly Constituency do swear in the name of the God / solemnly affirm that my son/ daughter/chela………………………….………..is………………years of age as on 1st January, 20… and is residing with me.

Place:
Date:

Signature of the parent/Guru

sworn in the name of God/solemnly affirmed by shri/shrimati ………………………. .at………………………………………………..…(Place) at……………. (hour) this……………day of……………………20... before me.

Signature of Electoral Registration Officer /
Assistant Electoral Registration Officer with Seal

अनुबन्ध II (प्ररूप–8 के लिए)

भारत निर्वाचन आयोग प्रतिस्थापन निर्वाचक फोटो पहचान पत्र (एपिक) जारी के लिए आवेदन		प्ररूप आई.डी0 ईसीआई–एपिक–001
क	राज्य/संघ राज्य–क्षेत्रः	
	वि0स0 निर्वाचन क्षेत्र (संख्या एवं नाम)	
	जिलाः	
ख	निर्वाचक का विवरण (निर्वाचक द्वारा भरे जाने के लिए)	

सेवा में, निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, ... विधान सभा/संसदीय निर्वाचन क्षेत्र	महोदय/महोदया, मैं अनुरोध करता/करती हूँ कि मुझे एक डुप्लीकेट निर्वाचक फोटो पहचान कार्ड जारी किया जाए क्योंकि मेरे निर्वाचक विवरण में त्रुटि–सुधार किए जाने के कारण मेरा मूल कार्ड गुम/नष्ट/विकृत हो गया है या पते में परिवर्तन होने के कारण मैं अपने नए पते के साथ एक नया कार्ड प्राप्त करना चाहता/चाहती हूँ। मैं डुप्लीकेट एपिक जारी करने के शुल्क के साथ आपको अपना एपिक वापस कर रहा/रही हूँ। मेरा नाम उपर्युक्त निर्वाचन–क्षेत्र की निर्वाचक नामावली में शामिल है। डुप्लीकेट एपिक जारी करने के मेरे दावे के समर्थन में विवरण नीचे दिए गए हैः

1. निर्वाचक का नामः	2. मूल कार्ड की एपिक संख्या (यदि ज्ञात हो):	
3. पिता/माता/पति का नामः	4.लिंग (पु./म.)	5. जन्मतिथि, यदि ज्ञात नहीं हो तो आयु वर्षों में, 1 जनवरी, 20............को ....
6.पता		
(i) गृह/द्वार संख्या–		
(ii) गली/मोहल्ला/सड़क/गलीः		
(iii) क्षेत्र/मोहल्लाः		
(iv) शहर/ग्रामः	(v) पिनकोड	☐☐☐☐☐☐
(vi) पुलिस स्टेशन	(vii) जिलाः	

(viii) डुप्लीकेट कार्ड के लिए आवेदन करने के कारणः

1. मैं एपिक वीआरसी/सीएससी से संगृहीत करूंगा/करूंगी।
2. मैं अपना एपिक डाक द्वारा प्राप्त करना चाहता/चाहती हूँ (स्व–पता लिखित एवं डाक टिकट लगे लिफाफे संलग्न हैं)
3. मैं एपिक बीएलओ से संगृहीत करूंगा/करूंगी।

( )
आवेदक के हस्ताक्षर

(ix) उपर्युक्त बॉक्स पर सही का निशान लगाएं (✔) ☐ मैं एतद्द्वारा अपना विकृत/पुराना कार्ड वापस करता/करती हूँ। ☐ मैं वचन देता/देती हूँ कि यदि मुझे जारी पूर्ववर्ती कार्ड बाद की तारीख में प्राप्त होता है तो मैं उसे वापस कर दूंगा/दूंगी।	दिनांक स्थान	

आधिकारिक इस्तेमाल के लिए

ग	एपिक जारी करने के लिए प्रमाणीकरण (ईआरओ के प्रतिनिधि द्वारा भरे जाने के लिए		
भाग संख्या–	भाग में निर्वाचक की क्रम सं.:	फोटोग्रॉफी हेतु नियत स्थान (डीपीएल)या कॉमन सर्विस सेंटर (सीएससी) की आईडी संख्या	टोकन नं. या रसीद सं.
पंजी सं.	पंजी में क्रम सं.		
सत्यापनकर्ताः दिनांक........./......./20....		हस्ताक्षर	

घ	**निर्वाचक द्वारा आर–एपिक की अभिस्वीकृति**	
(तारीख): .... को डुप्लीकेट एपिक प्राप्त		निर्वाचक के हस्ताक्षर या अंगूठे के निशान
☐☐ – ☐☐ 20........		

ANNEXURE II (For Form-8)

Election Commission of India ANNEXURE II Application for issue of Replacement Elector's Photo identity Card (EPIC)	FORM ID ECI.EPIC-OO1

A	State/ UT :	
	AC (No. & Name):	
	District:	
B	Elector's Particulars(To be filled by Elector)	

To, The Electoral Registration Officer, ---Assembly/ Parliamentary Constituency	Sir/Madam, I request that a Duplicate Electoral Photo identity Card be issued to me as my original card is lost/ destroyed / mutilated due to corrections is my electors detail or due to change of address I want to get a fresh card with my new address. I am retuning my EPIC to you along with fee for issue of duplicate EPIC My name is included in the electoral roll for the above constituency. Particulars in support of my claim for issue of duplicate EPIC are given below:
1. Name of Elector:	2. EPIC No of Original card (if known) :.

3. Fathers,/ Mother's/ Husband's* Name :	4. Sex (M/F):	5. Date of Birth (DOB) If not known then Age in Years)as on 1st Jan,20_ ......

6. Address	
(i) House / Door number:	
(ii) Street/ Mohalla / Road/ Gali :	
(iii) Area / Locality :	
(iv) Town/Village :	(v) PIN CODE
(vi) Police Station :	(vii) District:
(viii) Reasons for applying for a Duplicate card	

1-I will collect EPIC from VRC/CSC
2- I wish to receive my EPIC by Post(self addressed and stamped envelope enclosed)
3- I will collect EPIC from BLO

( )
Signature of the applicant

(ix) Tick (✔) the appropriate box: ☐ I hereby return my mutilated /old card. ☐ I undertake to return the earlier card issued to me if the same recovered at a later date.	Date Place	

For official Use

C	Authentication for Issue of EPIC (To be filled by ERO,s Representative)

Part No. :	Serial No. of Elector in Part:	ID number of Designated Photography Location (DPL) or Common Seryice centers (CSC).:	#Token No. or Receipt No.
Register No.	Serial No. in Register		
Verified by: Date: -------_/-------_/20_		Signature	

D	Acknowledgement of R- EPIC by the Elector

Received Duplicate EPIC on (Date):----------------------------						Elector's Signature or Thumb Impression
		–			20........	